संख्या: 45 /XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांक: 19 जनवरी,2010

विषय:– द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2009–10 की चतुर्थ किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2009–10 की चतुर्थ किश्त कुल धनराशि **रु0 196833000.00 (रु0 उन्नीस करोड़ अड़सठ लाख तैंतीस हजार मात्र)** को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2 (1)– संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

(5)– उपभोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3– इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एल०एम० पन्त)
सचिव,वित्त

संख्या: 45 (1) /XXVII (1)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन०आई०सी०,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

18/1/2010

(एल०एम० पन्त)
सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या: 46 /XXVII (i)/2010
दिनांक: 19 जनवरी,2010 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ग्राम पंचायतों को संस्तुत समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू० में)

क्रमांक	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	चतुर्थ किश्त
1	2	3	4	5
1-	अल्मोड़ा	भैंसियाछाना	50	691
		भिकियासैंण	98	983
		चौखुटिया	99	1162
		धौलादेवी	109	2507
		द्वाराहाट	118	1458
		हवालबाग	125	1391
		लमगड़ा	97	1653
		सल्ट	138	2071
		स्याल्दे	93	1722
		ताकुला	89	917
		ताड़ीखेत	130	2288
		योग:–	1146	16843
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	181	2462
		गरूड़	101	1132
		कपकोट	115	2289
		योग:–	397	5883
3-	चमोली	दशोली	65	1413
		देवाल	44	1113
		गैरसैंण	95	2188
		घाट	52	1021
		जोशीमठ	52	3087
		कर्णप्रयाग	94	1869
		नारायणबगड़	70	1028
		पोखरी	76	1232
		थराली	53	1006
		योग:–	601	13957

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ग्राम पंचायतों को संस्तुत समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू० में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	चतुर्थ किश्त
4.	चम्पावत	बाराकोट	47	631
		चम्पावत	99	2527
		लोहाघाट	65	807
		पाटी	79	1063
		योग:–	**290**	5028
5.	देहरादून	चकराता	97	2057
		डोईवाला	47	2792
		कालसी	97	2117
		रायपुर	35	2859
		सहसपुर	55	3579
		विकासनगर	52	2833
		योग:–	**403**	16237
6.	हरिद्वार	बहादराबाद	64	7848
		भगवानपुर	53	4125
		खानपुर	21	1282
		लक्सर	48	2498
		नारसन	58	3510
		रूड़की	58	3034
		योग:–	**302**	22297
7.	नैनीताल	बेतालघाट	71	1238
		भीमताल	62	1019
		धारी	35	689
		हल्द्वानी	69	3115
		कोटाबाग	38	1003
		ओखलकांडा	76	1632
		रामगढ़	56	1072
		रामनगर	53	1595
		योग:–	**460**	11363
8.	पौड़ी	बीरोंखाल	102	3086
		दुगड्डा	99	6118
		द्वारीखाल	99	3715

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ग्राम पंचायतों को संस्तुत समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू० में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	चतुर्थ किश्त
		एकेश्वर	83	1855
		कल्जीखाल	87	2395
		खिर्सू	43	1281
		कोट	68	1756
		दुगड्डा([illegible])	74	3434
		नैनीडाण्डा	89	3062
		पाबौ	74	2475
		पौड़ी	64	1531
		पोखड़ा	57	1247
		रिखणीखाल	81	2266
		थलीसैंण	102	4183
		यमकेश्वर	86	3794
		योग:–	1208	41215
9-	पिथौरागढ़	बेरीनाग	88	1940
		धारचूला	56	2853
		डीडीहाट	67	789
		गंगोलीहाट	122	2329
		कनालीछीना	88	1081
		मुनाकोट	74	1152
		मुनस्यारी	93	3219
		पिथौरागढ़	81	1101
		योग:–	669	14464
10-	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	156	2965
		जखोली	102	1373
		ऊखीमठ	65	1460
		योग	323	5798
11-	टिहरी	भिलंगना	178	5259
		चम्बा	99	1392
		देवप्रयाग	111	1687
		जाखणीधार	90	1116
		जौनपुर	124	2303

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ग्राम पंचायतों को संस्तुत सहायक अनुदान का विवरण।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	चतुर्थ किश्त
		कीर्तिनगर	82	1033
		नरेन्द्र नगर	111	1232
		प्रतापनगर	98	1219
		थौलधार	86	1105
		योग	**979**	16346
12-	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	39	1736
		गदरपुर	43	3819
		जसपुर	43	1628
		काशीपुर	28	1228
		खटीमा	55	4305
		रुद्रपुर	45	1722
		सितारगंज	56	4908
		योग	**309**	16546
	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	2057
13-		चिन्यालीसौड़	74	1203
		डुण्डा	88	1411
		मोरी	62	1631
		नौगांव	113	3821
		पुरोला	40	713
		योग:-	**454**	10856
		महायोग:-	**7541**	196833

(रू0 उन्नीस करोड़ अड़सठ लाख तैंतीस हजार मात्र)

18/11/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।